विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(प्रश्न अनुभाग)

संख्याः 79/प्र0-44/1/2022 लखनऊ, दिनांक 03.09.2025

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

1- मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय के समस्त विभाग।

विषयः- उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2025 के सत्रावसान की सूचना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2025 से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप लम्बित सभी प्रश्न तथा सूचनाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं, परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे तथा उत्तर के लिए लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2- उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 (अद्यतन संशोधित प्रति संलग्न) के अनुसार मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि आगामी सत्र हेतु निर्धारित प्रश्नों पर ऑनलाइन कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ विभाग/प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारियों अथवा उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों को जिन्होनें अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है एवं आपके अधीनस्थ जिन विभाग/प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण नये विभाग/प्रकोष्ठ में हो गया हो उन्हें नयी तैनाती के विभाग/प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित करने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करने का कष्ट करें।

3- मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रश्नों की प्रकिया को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से आगामी सत्र के निर्धारित प्रश्नों की लिखित प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) अब शासन के अनुभागों को नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आगामी सत्र हेतु निर्धारित प्रश्नों की प्रतियाँ उ0प्र0 शासन के अनुभाग अधिकारी उन्हें

आवंटित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर वर्तमान में क्रियाशील वेबसाइट https://**cms.neva.gov.in** पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कर प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या: 79/प्र0-44/1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः-

1. मा0 मुख्य मंत्री, मा0 उप मुख्य मंत्रियों एवं मंत्री परिषद के अन्य समस्त सदस्यों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रियों की सूचनार्थ,
2. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
4. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

शरद शुक्ल,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 का सन्दर्भित उद्धरण-

"28-(1) सदन में लिये गये प्रश्नों को ही उत्तरित माना जायेगा।

2-(क) सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने की दिनांक के पन्द्रह दिन उपरान्त से आगामी सत्र के लिये सदस्यों से नवीन प्रश्न लिये जायेंगे। उक्त प्राप्त प्रश्नों का आगामी सत्र हेतु निर्धारण सत्रावसान की तिथि के उपरान्त किया जायेगा।

(ख) परन्तु सत्रावसान के पूर्व वर्तमान सत्र के लिये सदन की बैठक पुनः बुलाये जाने की स्थिति में उक्त सत्र के प्रश्न यथावत् उसी क्रम में निर्धारित रहेंगे।"